उत्तर प्रदेश शासन
प्रशासनिक सुधार अनुभाग–1
संख्या– 310 / 43–1–2013–14(3) / 2011
लखनऊ:: दिनांक 18 जनवरी, 2013

उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग ड्राइवर सेवा नियमावली–2012 की अधिसूचना / प्रकीण संख्या–95 / 43–1– 2013 –14(3) / 2011, दिनांक 16 जनवरी, 2013 द्वारा प्रख्यापित तथा उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग समूह 'घ' सेवा नियमावली,2012 की अधिसूचना / प्रकीण संख्या–96 / 43–1–2013–14(3) / 2011,दिनांक 16 जनवरी, 2013 द्वारा प्रख्यापित(हिन्दी / अग्रेजी रूपान्तर सहित) की संलग्न प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,उ0प्र0शासन ।
2– समस्त मंडलायुक्त / जिलाधिकारी,उ0प्र0 ।
3– समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,उ0प्र0 ।
4– सचिव,राज्यपाल,उ0प्र0 ।
5– सचिव,विधान सभा / विधान परिषद्,उ0प्र0 ।
6– सचिव,राज्य सूचना आयोग,उ0प्र0 ।
7– प्रभारी संयुक्त निदेशक,प्रशासनिक सुधार निदेशालय को विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करने के प्रयोजनार्थ प्रेषित ।
8– संयुक्त निदेशक,मुद्रण एवं लेखन सामग्री ऐशबाग लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे कृपया उक्त अधिसूचनाओं को आगामी सरकारी गजट में प्रकाशित करने तथा उक्त दोनों अधिसूचनाओं की 1000–1000 प्रतियाँ मुद्रित करा के प्रशासनिक सुधार विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
9. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार)
संयुक्त सचिव

u.o Latter

उत्तर प्रदेश शासन,
प्रशासनिक सुधार अनुभाग–1
संख्याः 95/43–1–2013–14(3)/2011
लखनऊः दिनांकः 16 जनवरी, 2013

अधिसूचना

प्रकीर्ण

साधारण खण्ड अधिनियम 1897,(अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005(अधिनियम संख्या 22, सन् 2005) की धारा 27 की उप धारा (2) के खण्ड (घ) के साथ पठित उक्त धारा के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी शासनादेश का अधिक्रमण करके राज्यपाल,उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के ड्राइवरों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा निबन्धनों और शर्तो को विनियमित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग ड्राइवर सेवा नियमावली, 2012

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली " उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग ड्राइवर सेवा नियमावली, 2012" कही जायेगी ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

नियमवाली का अंगीकरण

2– उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के ड्राइवरों को देय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के निबन्धनों और शर्तो के सम्बन्ध में सरकारी अधिसूचना संख्या 13/12/93–का–1/1993, दिनांक 14 अक्टूबर,1993 के साथ प्रकाशित और समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली 1993 लागू होगी ।

आज्ञा से,

15-1-13

(प्रभात कुमार सारंगी)
प्रमुख सचिव

uop

Uttar Pradesh Shasan
Prashasnik Sudhar Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No. 95/43-1-2013-14(3)/2011, Dated. 16 January, 2013

NOTIFICATION
Miscellaneous
No.95/43-1-2013-14(3)/2011
Lucknow : Dated. 16 January, 2013.

In exercise of the powers under section 27 of right to information Act 2005 (Act no. 22 of 2005) read with clause (d) of sub-section (2) of the said section and section 21 of the General clauses Act 1897 (Act no. 10 of 1897) and in supersession of Government order issued in this behalf the Governor is pleased to make the following rules with a view to regulating the salaries and allowances payable to and the terms and conditions of service of Drivers of the Uttar Pradesh State Information Commission.

THE UTTAR PRADESH STATE INFORMATION COMMISSION DRIVER'S SERVICE RULES, 2012

Short title and commencement	1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh State Information Commission Driver's Service Rules, 2012 (2) They shall come into force at once.
Adoption of rules	2. With respect to the salaries and allowances payable to and terms and concitions of service of Drivers of the Uttar Pradesh State Information Commission, the Uttar Pradesh Government Department Driver's Service Rules, 1993 published with Government notification no. 13/12/93-Ka-1/1993. dated October 14, 1993 and as amended time to time, shall apply.

By Order

15-1-13

(PRABHAT KUMAR SARANGY)
PRINCIPAL SECRETARY

Dri. Service Rule

उत्तर प्रदेश शासन,
प्रशासनिक सुधार अनुभाग–1
संख्या: 96/43–1–2013–14(3)/2011
लखनऊ: दिनांक: 16 जनवरी , 2013

अधिसूचना
प्रकीर्ण

साधारण खण्ड अधिनियम 1897,(अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005(अधिनियम संख्या 22, सन् 2005) की धारा 27 की उप धारा (2) के खण्ड (घ) के साथ पठित उक्त धारा के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी शासनादेश का अधिक्रमण करके राज्यपाल,उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के समूह 'घ' के कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा निबन्धनों और शर्तो को विनियमित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग समूह 'घ' सेवा नियमावली, 2012

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली " उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग समूह 'घ' सेवा नियमावली, 2012" कही जायेगी ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

नियमवाली का अंगीकरण

2– उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग समूह 'घ" के कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के निबन्धनों और शर्तो के सम्बन्ध में सरकारी अधिसूचना संख्या 20/3–1982–कार्मिक –2–85, दिनांक 16 मार्च, 1985 के साथ प्रकाशित और समय–समय पर यथा संशोधित समूह 'घ' कर्मचारी नियमवली 1985 लागू होगी ।

आज्ञा से,
15-1-13
(प्रभात कुमार सारंगी)
प्रमुख सचिव

uop

Uttar Pradesh Shasan
Prashasnik Sudhar Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No.96/43-1-2013-14(3)/011, Dated. 16 January, 2013

NOTIFICATION
Miscellaneous
No.96/43-1-2013-14(3)/2011
Lucknow : Dated. 16 January, 2013.

In exercise of the powers under section 27 of right to information Act 2005 (Act no. 22 of 2005) read with clause (d) of sub-section (2) of the said section and section 21 of the General clauses Act 1897 (Act no. 10 of 1897) and in supersession of Government order issued in this behalf the Governor is pleased to make the following rules with a view to regulating the salaries and allowances payable to and the terms and conditions of service of Group "D" employees of the Uttar Pradesh State Information Commission.

THE UTTAR PRADESH STATE INFORMATION COMMISSION GROUP "D" SERVICE RULES, 2012

Short title and commencement	1. (1) These rules may be called "The Uttar Pradesh State Information Commission Group "D" Service Rules, 2012." (2) They shall come into force at once.
Adoption of rules	2. With respect to the salaries and allowances payable to and terms and conditions of service of Group "D" employees of the Uttar Pradesh State Information Commission, The Group "D" employees Service Rules, 1985 published with Government notification no. 20/3/82-1-PERSONNEL-2-85 dated March 16, 1985, and as amended time to time, shall apply.

By Order

15-1-13

(PRABHAT KUMAR SARANGY)
PRINCIPAL SECRETARY

Dri. Service Rule